



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹2,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0-547/2017 धारा-306 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहम्मद फारुख पुत्र याकूब नि0मु0 बडी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹2,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी श्री राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 नारायण
सिंह



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव